Ll.b.
2semester
Legal history.

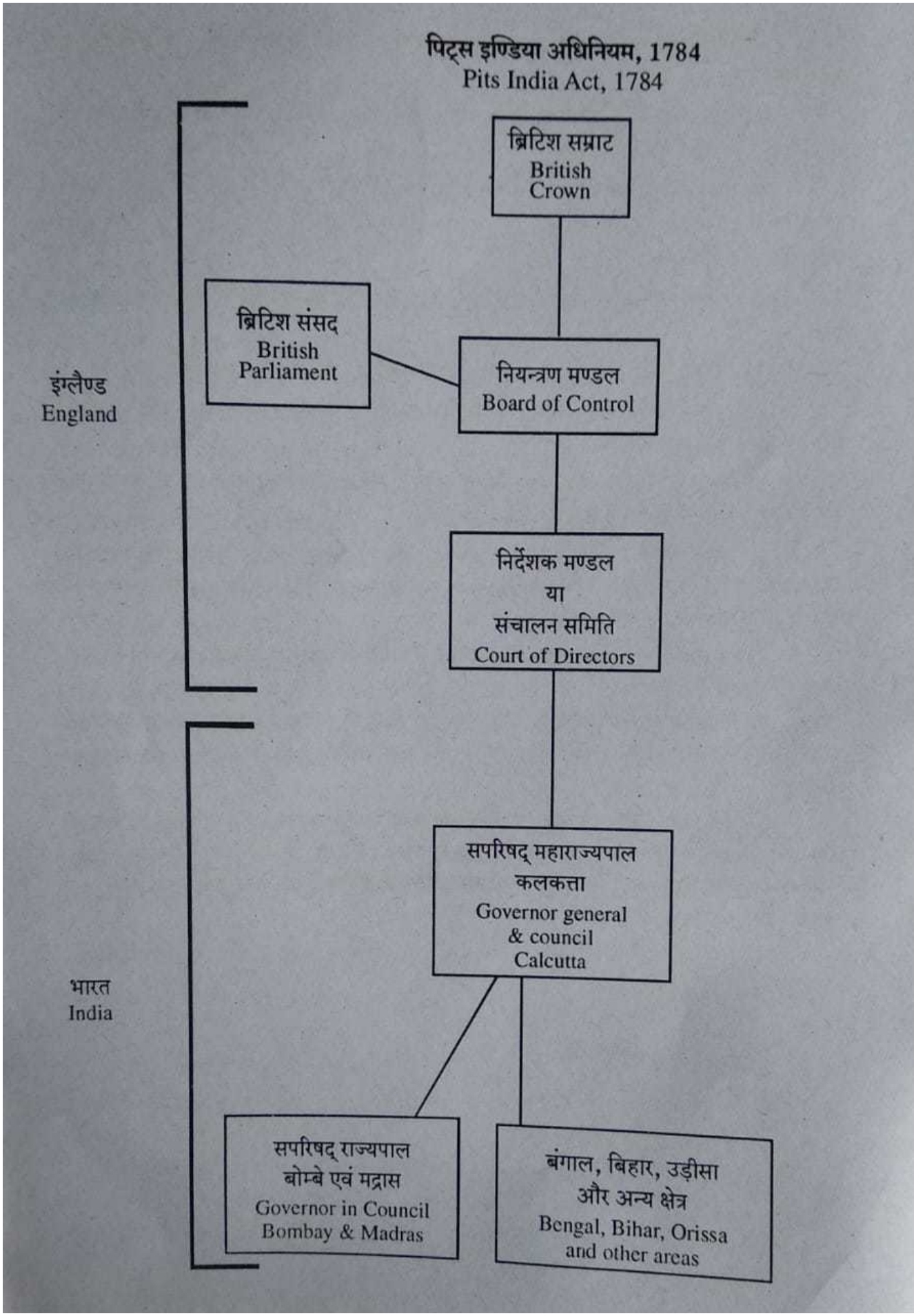

पिट्स इण्डिया अधिनियम, 1784
Pits India Act, 1784

पिट्स इण्डिया अधिनियम, 1784

Pitt's India Act, 1784

ब्रिटिश संसद द्वारा सन् 1773 में रेग्यूलेटिंग एवं सन् 1781 में बन्दोबस्त अधिनियमों के द्वारा कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित करने का असफल प्रयास किया।

संसद को एक और विस्तृत अधिनियम की आवश्यकता महसूस होने लगी जिससे कम्पनी प्रशासन को संसदीय नियन्त्रण में रखा जा सके। इसी प्रयास ने सन् 1783 में फॉक्स इण्डिया विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसको प्रस्तुत करने का कारण बताया गया कि कम्पनी के शासन में कुव्यवस्था, भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा है, अधिराट् के विश्वास को तोड़ा गया है। भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है जिससे कम्पनी दीवालियापन की स्थिति में आ खड़ी हुई है। इसलिये कम्पनी को ब्रिटिश संसद के पूर्ण नियन्त्रण में रखना आवश्यक हो गया।

यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन में तो पास हो गया परन्तु हाउस ऑफ लार्ड के द्वारा बहुमत से इसे खारिज कर दिया गया। विधेयक के पारित नहीं होने के परिणामस्वरूप नार्थ एवं फॉक्स की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात् पिट्स प्रधानमंत्री बने।

पिट्स ने फॉक्स विधेयक मिलते-जुलते भारत से सम्बन्धित विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जिसे बहुमत से पारित कर दिया जो पिट्स इण्डिया अधिनियम 1784 के नाम से जाना गया। यह अधिनियम फाक्स विधेयक का ही संशोधित रूप था। इसके द्वारा कम्पनी के प्रशासन को इंग्लैण्ड में एवं भारत में संसद द्वारा नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया।

पिट्स इण्डिया अधिनियम के मुख्य प्रावधान—इसके मुख्य प्रावधानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है

(i) इंगलैण्ड से संबंधित प्रावधान

(ii) भारत से संबंधित प्रावधान

कम्पनी पर नियन्त्रण के प्रावधान—

(i) प्रावधान इंगलैण्ड से सम्बन्धित

(1) नियन्त्रण बोर्ड (Board of Control)—पिट्स इण्डिया अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के राजनैतिक प्रशासन को ब्रिटिश संसद के नियन्त्रण में लाना था। इसलिये एक नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह बोर्ड छः सदस्यों द्वारा बनाया गया। इसमें एक मुख्य आयुक्त जिसे प्रेसीडेन्ट कहा गया

के अतिरिक्त एक राज्य सचिव, ऐक्सचेकर के चांसलर एवं प्रिवी कौंसिल के सदस्य सम्मिलित किये गये थे। मुख्य आयुक्त की नियुक्ति ब्रिटिश अधिराट् द्वारा की जानी थी। इसकी गणपूर्ति तीन थी। प्रेसीडेन्ट को निर्णायक मत देने का अधिकार था। बोर्ड के सभी सदस्य अवैतनिक थे।

नियन्त्रण बोर्ड की शक्तियाँ—इस अधिनियम द्वारा स्थापित नियन्त्रण बोर्ड को कम्पनी की भारत की सभी राजनीतिक शक्तियों का हस्तान्तरण कर दिया गया।

इस बोर्ड को कम्पनी के अधीन भारतीय भू-भाग के सभी फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व सम्बन्धित कार्यों तथा संस्थाओं पर अपना पूर्ण नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।

कम्पनी के निर्देशकों को निदेश दिया गया कि भारतीय भू-भाग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, आदेशों एवं उनके द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाहियों की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये।

बोर्ड द्वारा दिये सभी निर्णयों एवं आदेशों की कम्पनी के निर्देशकों द्वारा उचित पालना करना आवश्यक था।

बोर्ड को अधिकृत किया गया कि संचालन समिति द्वारा पारित किसी भी लेख को स्वीकृत या अस्वीकृत या संशोधित कर सकता था।

(2) कोर्ट ऑफ डायरेक्टरस् (Court of Directors)—कोर्ट ऑफ डायरेक्टरस् या संचालन समिति को भारत में महाराज्यपाल, राज्यपाल, कमाण्डर इन चीफ को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। उपर्युक्त अधिकारियों को पद के दुरूपयोग के आरोप पर संचालन समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता था।

(3) निर्देशकों की गुप्त समिति (Creation of Secretarate Committee)—नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पारित सभी आदेशों व निर्देशों का संचालन समिति को ज्ञान होता था। संचालन समिति के माध्यम से ही उन्हें भारत भेजा जाता था।

परन्तु कुछ विशेष मामलों को गोपनीय रखने के लिए इस अधिनियम में (निर्देशकों) की एक गोपनीय समिति की स्थापना का प्रावधान रखा गया था।

इस समिति में तीन सदस्य होते थे। इन सदस्यों का चुनाव निर्देशकों के द्वारा अपने में से ही किया जाता था। नियन्त्रण बोर्ड के गोपनीय आदेशों एवं निर्देशनों को इसी समिति के द्वारा भारत में कम्पनी के अधिकारियों को भेजा जाता था। इस समिति के निर्देशकों को इन आदेशों को गुप्त रखना अनिवार्य था, वे इन आदेशों को अपने अन्य निर्देशकों को भी नहीं बता सकते थे।

परिषदों को सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। उपर्युक्त अधिकारियों को पद के दुरुपयोग के आरोप में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या ब्रिटिश सम्राट् द्वारा पदच्युत किये जा सकते थे।

(4) विशेष न्यायालयों की स्थापना (Creation of Special Court)—इस अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेज अपराधियों द्वारा किये गये जघन्य अपराधों के लिए इंग्लैण्ड में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। ये वे अपराध होते थे, जो भारत में स्थापित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आ पाते थे।

(ii) भारत से संबंधित प्रावधान

(1) कम्पनी द्वारा संचालित भारतीय क्षेत्र का एकीकरण (Unification of Companies Territory in India)—रेग्यूलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा कम्पनी के आधिपत्य वाले भारतीय क्षेत्रों के केन्द्रीयकरण करने का प्रथम कदम उठाया गया था। पिट्स इण्डिया अधिनियम इन क्षेत्रों पर अधिक कर दिया गया। इन क्षेत्रों पर बंगाल सरकार का नियन्त्रण युद्ध और शांति के साथ उन सब विषयों पर भी कर दिया गया जो उसे संचालन समिति (Court of directors) के द्वारा प्रदान किये गये हों।

कम्पनी की सभी प्रेसीडेन्सी सरकारों को बंगाल सरकार के सभी आदेशों एवं निर्देशनों का पालन करने का आदेश दिया गया। इस अधिनियम द्वारा वास्तविक रूप में केन्द्रीयकरण एवं एकीकरण को लागू किया गया। कम्पनी के भारत में आधिपत्य वाले क्षेत्रों को प्रथम बार ब्रिटिश प्रदेश की संज्ञा दी गई।

(2) कम्पनी की भारतीय सरकारों की संरचना में परिवर्तन (Change in Composition of Companies Government in India)—बंगाल की सपरिषद् महाराज्यपाल - इसके सदस्यों की संख्या कुल चार कर दी गई। महाराज्यपाल एवं तीन सदस्य कमाण्डर इन चीफ को भी परिषद् का सदस्य बना दिया गया। तीन सदस्यों में से एक वह सदस्य था, इसका स्तर महाराज्यपाल के बिल्कुल बाद का होता था। प्रेसीडेन्सिओं की सरकार की संरचना में भी परिवर्तन करके मद्रास एवं बोम्बे की सपरिषद् राज्यपाल की सदस्यों की संख्या कुल चार कर दी गई—राज्यपाल एवं तीन सदस्य। महाराज्यपाल एवं राज्यपाल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। महाराज्यपाल के आदेशों की पालना मद्रास एवं बोम्बे की सरकार एवं अधिकारियों को करना आवश्यक कर दिया गया।

(3) रिश्वत लेने के विरूद्ध प्रावधान (Provision against bribery)—कम्पनी के कर्मचारियों को देशी व्यक्तियों एवं राजा, महाराजाओं से किसी भी प्रकार की भेंट या रिश्वत लेने की मनाही की गई। साथ ही इसे आपराधिक मामला मानते हुये दण्ड का भी प्रावधान किया गया।

(4) युद्ध करने एवं नये क्षेत्रों को जीतने की मनाही—इस अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास एवं बोम्बे की सरकारों को भारत में युद्ध छेड़ने या नये क्षेत्रों को जीतने की कार्यवाही से रोका गया। इस प्रावधान के अनुसार, यह कार्य ब्रिटिश अधिराट् की इच्छा एवं नीति के विरुद्ध बताया गया। इससे भारतीय राजाओं एवं कम्पनी सरकार में सुधार होने की आशा बनने लगी।

पिट्स इण्डिया अधिनियम में संशोधन (Amendment in Pitt's India Act)—सन् 1786 में पिट्स इण्डिया अधिनियम में संशोधन करके (1) महाराज्यपाल को अपनी परिषद् के निर्णय पर वीटो लगाने की शक्ति प्रदान की गई। (2) कमाण्डर-इन-चीफ के पद को महाराज्यपाल के पद के साथ मिला दिया गया। (3) महाराज्यपाल की नियुक्ति में ब्रिटिश अधिराट् का समर्थन आवश्यक नहीं रखा गया। महाराज्यपाल के वापस बुलाने के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

पिट्स इण्डिया अधिनियम का महत्त्व (Importance of the Pitt's India Act)—इस अधिनियम को भारतीय वैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद में कम्पनी भारतीय सरकारों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने में सक्षम रही। कम्पनी के भारतीय क्षेत्रों के एकीकरण में भी इस अधिनियम का योगदान रहा। इस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई शासन व्यवस्था समय-समय पर किये गये कुछ संशोधनों के साथ सन् 1858 तक चलती रही।

❑❑❑